

**ORIGINAL DOCUMENT REQUIRED FOR ADMISSION IN PG (MD/MS/DIPLOMA) COURSE  
(ALL INDIA QUOTA Candidate)**

1. Allotment Letter
2. Admit Card Pre-PG NEET exam.
3. Rank Letter (Which contained **Percentile** data)
4. Score Card (Pre-PG NEET exam.)
5. Relieving Letter (for Candidate who previously admitted in other institute in 1<sup>st</sup> allotment and allotted seat for this Institute in 2<sup>nd</sup> allotment)
6. Mark sheet of Class 10<sup>th</sup> or Birth Certificate
7. Mark sheet of Class 12<sup>th</sup>
8. MBBS all Mark sheets
9. Internship Completion Certificate
10. MBBS Degree
11. Medical Council Registration Certificate
12. Transfer Certificate
13. Character Certificate
14. Migration Certificate (Affidavit if not available)
15. Nationality/ Domicile Certificate
16. Caste Certificate (Central Caste Certificate for AIQ admission)
17. 4 No. Passport Size Color Photograph
18. Rural Service Bond (in prescribe format please **find it below**)
19. Course Breakage Bond (in prescribe format please **find it below**)
20. Medical Fitness
21. 2 set photocopies of above all with self-attest.
22. Disability Certificate if applicable (For PH Candidate)

Fee - Tuition Fee Rs. 20,000/- and Security Deposit Rs. 50,000/-

(Separate Demand Draft for each amount in Favor of "**Dean, Pt. JNM Medical College, Raipur**")

## परिशिष्ट—पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)  
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र  
का प्रारूप

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....

.. छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की  
F-21-01/2018/9/55-4 Dt 13-03-2018  
अधिसूचना क्रमांक .....: "छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2018."  
को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।
2. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूँ।
3. मैं एतद्वारा यह शपथपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूँ कि :-

(क) यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष (2020)  
हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत मेरे द्वारा प्रवेशित सीट से त्यागपत्र  
दिया जाता है तो रु. 25.000,00 (पच्चीस लाख रुपये) तथा तीन/दो वर्षों तक  
प्रदाय किये जाने वाले स्टाइपण्ड की राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई)  
शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

(ख) मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान यदि मुझ पर  
अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा मुझे महाविद्यालय  
से निष्कासित किया जाता है तो भी उपरोक्त खण्ड में वर्णित राशि शासन को मेरे  
द्वारा देय होगी।

(ग) उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय  
प्रशासन में जमा किये गए मूल प्रमाणपत्र मुझे वापस प्रदाय किये जायेंगे।

(घ) यह कि मुझे ज्ञात है कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम  
एवं मान्य होगा।

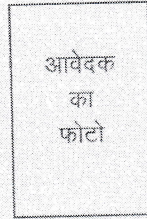
हस्ताक्षर

आवेदक/निष्पादनकर्ता

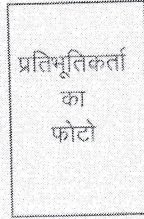
गवाह :

1.....हस्ताक्षर, नाम एवं पता

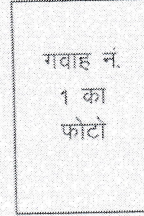
2.....हस्ताक्षर, नाम एवं पता



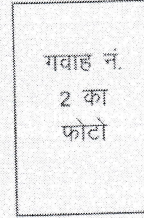
आवेदक



प्रतिभूतिकर्ता



गवाह 01



गवाह 02

## प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी .....

उपरोक्तानुसार बंधपत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्धपत्र के उल्लंघन की दशा में, बंधपत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल एवं अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प - पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(अखिल भारतीय कोटे से छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य- शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....  
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।

2. यह कि मुझे वर्ष 2019 में आयोजित "NEET" प्रवेश परीक्षा से अखिल भारतीय कोटे से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सीट आवंटित की गई है।

→ Subject का नाम लिखें

3. मैं एतद् द्वारा बन्धन पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ कि मैं एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।

4. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी..... की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रुपये \*..... शब्दों में (रुपए.....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।

संपत्ति का प्रकार  
भवन होने पर इसका  
पता/जमीन होने पर  
खेती न. इत्यादि  
का विवरण।

5. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

6. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा।

7. एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के बारह माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते हैं तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

\* आरक्षित अंजी टेल् - 40 लाख।  
अनारक्षित अंजी टेल् - 50 लाख।

9. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

गवाह : —

हस्ताक्षर

1.....हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता

2.....हस्ताक्षर

आवेदक  
का  
फोटो

आवेदक

प्रतिभूतिकर्ता  
का  
फोटो

प्रतिभूतिकर्ता

गवाह नं.  
1 का  
फोटो

गवाह 01

गवाह नं.  
2 का  
फोटो

गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी .....

उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता (बिन्दु क्रमांक 05)

